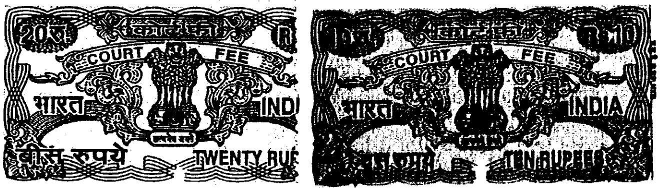

R. 131/I/17

दिनाँक 6-1-17 को श्री ... चतुर्वेदी ... द्वारा प्रस्तुत।

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../...........................

विषय :– आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार -- श्री नारायण सिंह गोड़ पिता हरिसिंह गोड़ उम्र 53 साल निवासी ग्राम धरहर पोस्ट सुन्दरपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर

विरूद्ध –

अनावेदक – (1) म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

(2) श्रीमती सावित्रीबाई पति घासीराम उम्र 51 साल निवासी म.नं. 13 डुमना बस्ती ग्राम पंचायत ककरतला तहसील व जिला जबलपुर

6/01/17

अपील/पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 38/अ–21/2016–17 में पारित अंतिम आदेश दि. 02/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत् यह अपील/निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री नारायण सिंह गोड़ पिता हरिसिंह गोड उम्र 53 साल निवासी ग्राम धरहर पोस्ट सुन्दरपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर द्वारा ग्राम हिनौता प.ह.नं. 15 रा.नि.मं इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 112 रकबा 0.300 हे. भूमि अनावेदक/गैर आदिवासी श्रीमती सावित्रीबाई पति घासीराम उम्र 51 साल निवासी म.नं. 13 डुमना बस्ती ग्राम पंचायत ककरतला तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र (Annexure-2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत् न्यायालय कलेक्टर जबलपुर में दिनांक 16/11/2016 को प्रस्तुत किया गया था।

3- उक्त आवेदन पत्र का सहपत्रों सहित अवलोकन किये जाने के पश्चात् प्रकरण दर्ज किया जाकर ग्राह्यता पर तर्क हेतु दिनांक 02/01/2017 सुनवाई हेतु नियत किया गया।

..2..

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 131/एक/2017 जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 38/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि ग्राम हिनौता प.ह.न. 15 रा.नि.म. इमलिया तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 112 रकवा क्रमशः 0.690 है0 भूमि अनावेदक क्रमांक 2 सावित्री बाई पति घासीराम निवासी 13 डुमना बस्ती ग्राम पंचायत ककरतला तहसील व जिला जबलपुर को भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर जबलपुर द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 02.01.2017 को प्रकरण अद्म पैरवी में निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का	

अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास ग्राम धरहर में रकवा 4.96 है0 भूमि शेष बचेगी। जिससे वह उपरोक्त भूमि की विधिवत् देखभाल कर कृषि कार्य करेगा एवं अपनी पुत्री का विवाह करेगा आवेदक अपने आवेदन पत्र में दर्शायी गयी भूमि को इसलिये भी विक्रय करना चाहता है क्योंकि उपरोक्त भूमि विक्रय किया जाना इसलिये आवश्यक है कि ग्राम में बची शेष भूमि को उन्नत बनाने एवं पारिवारिक आवश्यकताओ हेतु रूपयो की आवश्यकता है और इसके सिवाय अपनी भूमि मौजा हिनौता की भूमि को बेचने के अलावा अपनी उक्त जरूरतों को पूरा करने का कोई साधन नहीं है। तथा उक्त भूमि से कोई लाभ व फायदा नहीं है। लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाती है, इसलिये उक्त जमीन को बेच देना उसके हित में है। इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। किन्तु कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार नहीं किया है, ओर आवेदन पत्र को अद्‌म पैरवी में निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र पर सद्‌भाविक विचार होने से रह गया है। तथा अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त दिशा में कोई कार्यवाही नही की जाकर प्रकरण को विलंबित किया गया है, जिससे आवेदक की ओर से प्रस्तुत

विक्रय अनुमति आवेदन पत्र विचार किये जाने से रह गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये एवं आवेदक को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति न्यायहित में दी जाये। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी।

5- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 02.01.2017 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब भूमि के विक्रय की अनुमति के संबंध में प्रस्तुत किया गया था कि तब ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुण दोषो पर विचार कर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। क्योंकि प्रकरण को अद्म पैरवी में निरस्त किया जाना प्रकरण के निराकरण की प्रक्रिया नहीं है, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 02.01. 2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति एवं ग्राम हिनौता की भूमि कोई लाभ व फायदा नही होने से लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाने से आवेदक द्वारा उक्त भूमि को बेच देना उसके हित में होने से भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- आवेदक द्वारा विक्रय अनुमति आवेदन पत्र के साथ अनावेदक क्रमांक 2 सावित्री बाई का अनुबंध पत्र एवं शपथ

पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 4.96 है0 भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह बताया गया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

3- आवेदक अभिभाषक के तर्को के अनुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वंय द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

7- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय

नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन से अनावेदक क्रमांक 2 श्रीमती सावित्री बाई पति घासीराम निवासी 13 डुमना बस्ती ग्राम पंचायत ककरतला तहसील व जिला जबलपुर के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से अधिक विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम हिनौता प.ह.न. 15 रा.नि.म. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 112 रकवा 0.690 हे0 भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य